(82)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

## समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
## सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1824—दो/2005 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 23—09—2005 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 438/अपील/2003—04.

.....

1— रामखेलावन तनय रामगोपाल पटेल
2— कामता प्रसाद तनय लक्ष्मण प्रसाद पटेल
निवासी ग्राम भलुहा तहसील मऊगंज
जिला रीवा म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

आसिन मोहम्मद तनय मेनुरूददीन
निवासी ग्राम भलुहा तहसील मऊगंज
जिला रीवा म0प्र0

—— अनावेदक

.....

श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0 पी0 धाकड, अभिभाषक, अनावेदक

.....

## आदेश

(आज दिनांक 11/10/2017 को पारित )

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23—09—2005 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार के न्यायालय में अनावेदक नेबसीयत के आधार पर नामंतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार ने बसीयत को प्रमाणित मानते हुये अनावेदक के पक्ष में नामंतरण का आदेश पारित कर दिया।

इस आदेश से परिवेदित होकर आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई । यहां पर कुतुबुददीन मिरवा का पुत्र है कि नहीं , इसकी जांच हेतु प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश से दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई उनके द्वारा दिनांक 23.9.05 अपील स्वीकार की, इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत की। लेखी बहस में उनके द्वारा बताया गया है कि इस प्रकरण में विवादित भूमि स्वामी मिरवा वल्द जुम्मन बख्श थे, उनका पुत्र अथवा पुत्री नहीं थी। मिरवा ने अपनी भूमि 80/–रूपये लेकर आवेदकगण ने दिनांक 10.1. 1957 को अपंजीकृत विकय पत्र द्वारा अंतरित कर दी थी। कय करने के दिनांक से आवेदकगण का निरंतर आधिपत्य चला आ रहा है। उनके द्वारा यह भी लेख किया गया है कि मिरवा की मृत्यु के बाद दिनांक 30.6.2001 को कुतुबुददीन के नाम से नामांतरण कर दिया गया जबकि कुतुबुददीन नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। दिनांक 30.6.01 को किये गये नामंतरण के बाद तथाकथित कुतुबुददीन ने दिनांक 28.11.01 को अर्थात नामांतरण होने के 5 महीने बाद ही अनावेदक के हित में एक वसीयत कर दी और दिनांक 25.1.02 को अर्थात वसीयतकरने के 1 माह 26 दिन वाद तथाकथित कुतुबुददीन की मृत्यु होना दर्शाते हुये एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया। आवेदकों ने दिनांक 4.2.16 को संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन के साथ व्यवहारवाद कमांक 17ए/2014 में पारित निर्णय दिनांक 23.4.15 एवं द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश मऊगंज जिला रीवा द्वारा अपील कमांक 17ए/2014 में पारित निर्णय दिनांक 23.4.15 की प्रति प्रस्तुत करने के साथ ही नगर पंचायत नई गढ़ी जिला रीवा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा दिनांक 17.7.10 के पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी मऊगंज को उपरोक्त पत्र दिनांक 17.10.10 में लिखा है कि स्थानीय जांच के पश्चात यह पाया गया है कि कुतुबुददीन पिता मिरवा बख्श की मृत्यु उस वार्ड में नहीं हुयी है जहां मृत्यु होना दर्शाते हुये आसिन मोहम्मद (अनावेदक) की सूचना पर कुतुबुददीन का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया था अपने पत्र में उन्होंने यह भी लिखा कि कार्यालयीन पत्र दिनांक 5.4.03 कमांक न.प./3/17 द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा–15 के

अंतर्गत कुतुबुददीन की मृत्यु की प्रविष्टि को निरस्त करने के लिये जिला सांख्यकीय रीवा को लिख गया है। उपरोक्त तथ्यों से यह भी प्रमाणित होता है कि कुतुबुददीन एक काल्पनिक व्यक्ति था एसे काल्पनिक व्यक्ति के द्वारा अनावेदक के हित में की गयी तथाकथित वसीयत एक फर्जी दस्तावेज है जिसके आधार पर अनावेदक ने अपना नामांतरण कराया था। नामांतरण आदेश के विरूद्व आवेदकों की अपील को अनुविभागीय अधिकारी ने विस्तृत आदेश द्वारा स्वीकार करते हुये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया था, परंतु अपर आयुक्त रीवा ने ऐसे आदेश को इस आधार पर निरस्त किया है कि कुतुबुददीन का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया था एवं आवेदकों ने ऐसी साक्ष्य नहीं दी है कि कुतुबुददीन नाम का व्यक्ति नहीं था। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 23.9.05 के बाद आवेदकों ने व्यवहारवाद प्रस्तुत किया था उक्त वाद में अनावेदक आसनि मौहम्मद का कहना था कि कुतुबुददीन ने आसिन मोहम्मद के हित में वसीयतनामा लिखा था द्वितीय व्यवाहर न्यायाधीश वर्ग–2 मऊगंज ने उक्त व्यवहारवाद में जो वाद प्रश्न निर्मित किये थे उनमें वाद प्रश्न कमांक –6 वसीयतनामें के संबंध में था। **उक्त वाद प्रश्न कमांक–6 पर व्यवहार न्यायाधीन ने अपने निर्णय के पद कमांक–24, 25 एवं 26 में विवेचना करते हुये निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी अर्थात आसिन मौहम्मद वसीयतनामा सिद्व नहीं कर सका है एवं वादी (आवेदकगण) यह प्रमाणित करने में सफल रहे हैं कि वसीयतनाम अवैधानिक होने से प्रभावहीन है।** आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि व्यवहारवाद न्यायालय ने आवेदकगण का स्वत्व के संबंध में वाद अस्वीकार किया था जिसके विरूद्व आवेदकगण ने द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी। उक्त अपील अंशतः स्वीकार करते हुये आवेदकगण के पक्ष में आवेदकगण का आधिप्रत्य होना स्वीकार करते हुये स्थायी निषेद्यज्ञा प्रदान की गई है कि विवादित भूमि के वास्तविक भूमि स्वामी द्वारा विधि की वैधानिक प्रकिया का पालन किये बिना आवेदकगण का आधिपत्य नहीं हटाया जायेगा। व्यवहार न्यायालय ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामे को विधिसममत नहीं पाया था व्यवाहार न्यायाधीश के आदेश के विरूद्व अनावेदक ने अपील प्रस्तुत नहीं की इस कारण व्यवहार न्यायाधीश का आदेश जिसमें वसीयतनामा साक्षियों द्वारा प्रमाणित न होने से वसीयतनामे को प्रभावहीन घोषित किया गया है, अंतिम हो गया है इस कारण

अनावेदक को वसीयतनामे के आधार पर मिरवा की भूमि पर अपना नामांतरण कराने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। व्यवहार न्यायालय का निर्णय राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी स्वीकार की जावे तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश निरस्त किया जावे।

4– अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर विचार नहीं किया कि क्या कुतुबुददीन नाम का व्यक्ति है अथवा नहीं और वसीयत कराने हेतु समर्थ व्यक्ति है या नहीं । अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी निरस्त की जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदकों ने व्यवहारवाद की प्रति प्रस्तुत की है। उक्त वाद में अनावेदक आसनि मौहम्मद का कहना था कि कुतुबुददीन ने आसिन मोहम्मद के हित में वसीयतनामा लिखा था द्वितीय व्यवाहर न्यायाधीश वर्ग–2 मऊगंज ने उक्त व्यवहारवाद में जो वाद प्रश्न निर्मित किये थे उनमें वाद प्रश्न कमांक –6 वसीयतनामें के संबंध में था। उक्त वाद प्रश्न कमांक–6 पर व्यवहार न्यायाधीन ने अपने निर्णय के पद कमांक–24, 25 एवं 26 में विवेचना करते हुये निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी अर्थात आसिन मौहम्मद वसीयतनामा सिद्व नहीं कर सका है एवं वादी (आवेदकगण) यह प्रमाणित करने में सफल रहे हैं कि वसीयतनाम अवैधानिक होने से प्रभावहीन है। व्यवहार न्यायालय ने आवेदकगण का स्वत्व के संबंध में वाद अस्वीकार किया था जिसके विरूद्व आवेदकगण ने द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी। उक्त अपील अंशतः स्वीकार करते हुये आवेदकगण के पक्ष में आवेदकगण का आधिपत्य होना स्वीकार करते हुये स्थायी निषेद्यज्ञा प्रदान की गई है कि विवादित भूमि के वास्तविक भूमि स्वामी द्वारा विधि की वैधानिक प्रकिया का पालन किये बिना आवेदकगण का आधिपत्य नहीं हटाया जायेगा। व्यवहार न्यायालय ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामे को विधिसम्मत नहीं पाया था व्यवाहार न्यायाधीश के आदेश के विरूद्व अनावेदक ने अपील प्रस्तुत नहीं की इस कारण व्यवहार न्यायाधीश का आदेश जिसमें वसीयतनामा

साक्षियों द्वारा प्रमाणित न होने से वसीयतनामे को प्रभावहीन घोषित किया गया था, अनावेदक के वियद्व अंतिम हो चुका है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर माननीय व्यवहारवाद कमांक 17ए/2014 में पारित निर्णय दिनांक 23.4.15 एवं द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश मऊगंज जिला रीवा द्वारा अपील कमांक 17ए/2014 में पारित निर्णय दिनांक 23.4.15 के तारतम्य अपर आयुक्त रीवा का प्रकरण कमांक 438/अपील/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 23.9.05 निरस्त किया जाता है। व्यवहार न्यायालय का निर्णय राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। माननीय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश मऊगंज जिला रीवा द्वारा अपील कमांक 17ए/2014 में पारित निर्णय दिनांक 23.4.15 के तारतम्य में विचारण न्यायालय कार्यवाही करें।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर